



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042021-226746
CG-DL-E-24042021-226746

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 24, 2021/वैशाख 4, 1943

No. 228]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 24, 2021/VAISAKHA 4, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल 2021

संख्या 28/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 286(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की धारा 141, के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, केंद्रीय सरकार एतद्वारा ऐसे माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष अथवा टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, पर कथित प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत लगने वाले संपूर्ण सीमा शुल्क और उक्त वित्त अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण स्वास्थ्य उपकर से, जब वह भारत में आयातित हो, छूट प्रदान करती है, यथा:-

सारणी

क्र. सं.	अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष अथवा टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	9019 20, 9804	ऑक्सीजन संकेन्द्रक एवं साथ में प्रवाह मापी यन्त्र, नियामक, योजक और ट्यूबिंग्स
2.	2804 40	चिकित्सीय प्रयोग हेतु ऑक्सीजन
3.	8421 39	वैक्यूम प्रेशर स्विंग अब्सॉर्प्शन और प्रेशर स्विंग अब्सॉर्प्शन ऑक्सीजन संयंत्र एवम क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन इकाई जिससे की तरल अथवा गैस के रूप में ऑक्सीजन बनता हो
4.	7311	ऑक्सीजन कनस्तर
5.	9018	ऑक्सीजन भरने वाले तंत्र
6.	7311	ऑक्सीजन भण्डारण टंकी
7.	9018	ऑक्सीजन उत्पादन यन्त्र
8.	7311	ऑक्सीजन परिवहन में प्रयोग होने वाले ISO कंटेनर्स
9.	7311, 8418 अथवा 8419	ऑक्सीजन परिवहन में प्रयोग होने वाले क्रायोजेनिक परिवहन टैंक
10.	7311, 8418 अथवा 8419	ऑक्सीजन सिलेंडर समेत क्रायोजेनिक सिलेंडर और टैंक
11.	कोई अध्याय	उपर्युक्त क्र. सं. 1 एवं 3 से 10 पर वर्णित माल के पुर्जे जो कि ऑक्सीजन उत्पादन, परिवहन, वितरण और भण्डारण में काम आने वाले उपकरण को बनाने में प्रयोग होते हैं, यदि आयातकर्ता सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करता है।
12.	9019	ऐसा कोई भी उपकरण जिससे ऑक्सीजन का उत्पाद किया जा सके
13.	9018 or 9019	वेंटीलेटर, संपीडक वाला वेंटीलेटर; उसके साथ के सहायक उपकरण और ट्यूबिंग्स; आर्द्रक; वायरल निस्पंदक (जो कि तीव्र बहाव यन्त्र की तरह काम कर सके और नासिका सम्बन्धी कैनुला के साथ आये)
14.	9018	तीव्र बहाव नासिका सम्बन्धी कैनुला यन्त्र और उसके सारे भाग; नासिका सम्बन्धी कैनुला जो कि उपकरण के साथ इस्तेमाल में आये
15.	6506 99 00	हेलमेट जो कि गैर इनवेसिव वेंटिलेशन में इस्तेमाल हो
16.	9019	गैर इनवेसिव वेंटिलेशन में इस्तेमाल होने वाला ओरोनासल मास्क आई सी यू वेंटीलेटर के लिए

17.	9019	गैर इनवेसिव वेंटिलेशन में इस्तेमाल होने वाला नासल मास्क आई सी यू वेंटीलेटर के लिए
18.	3002	कोविड-19 वैक्सीन

2. यह अधिसूचना 31 जुलाई, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।

[फा. सं. 354/3/2021—टीआरयू]

गौरव सिंह, उपसचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2021

No. 28/2021—Customs

G.S.R. 286(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with section 141 of Finance Act, 2020 (12 of 2020), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below, falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) specified in column (2) of the said Table, when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule and the whole of health cess leviable thereon under section 141 of the said Finance Act, namely-

TABLE

S.No.	Chapter, heading, sub-heading or tariff item	Description
(1)	(2)	(3)
1.	9019 20, 9804	Oxygen concentrator including flow meter, regulator, connectors and tubings.
2.	2804 40	Medical Oxygen
3.	8421 39	Vacuum Pressure Swing Absorption (VPSA) and Pressure Swing Absorption (PSA) oxygen plants, Cryogenic oxygen Air Separation Units (ASUs) producing liquid/gaseous oxygen.
4.	7311	Oxygen canister.
5.	9018	Oxygen filling systems.
6.	7311	Oxygen storage tanks
7.	9018	Oxygen generator
8.	7311	ISO containers for Shipping Oxygen
9.	7311, 8418 or 8419	Cryogenic road transport tanks for Oxygen

10.	7311, 8418 or 8419	Oxygen cylinders including cryogenic cylinders and tanks
11.	Any Chapter	Parts of goods at S.No.1 and 3 to 10 above, used in the manufacture of equipment related to the production, transportation, distribution or storage of Oxygen, subject to the condition that the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017.
12.	9019	Any other device from which oxygen can be generated
13.	9018 or 9019	Ventilators, including ventilator with compressors; all accessories and tubings; humidifiers; viral filters (should be able to function as high flow device and come with nasal canula).
14.	9018	High flow nasal canula device with all attachments; nasal canula for use with the device.
15.	6506 99 00	Helmets for use with non-invasive ventilation.
16.	9019	Non-invasive ventilation oronasal masks for ICU ventilators.
17.	9019	Non-invasive ventilation nasal masks for ICU ventilators.
18.	3002	COVID-19 vaccine.

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 31st July, 2021.

[F. No. 354/3/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.